L. A. BILL No. XXXVI OF 2021.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1963.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३६ सन् २०२१।

महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९६४ का महा. २० ।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाए।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा १३ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा १३, की उप-धारा (१), के खण्ड (क), के उप-खण्ड (एक) में ("तद्धीन बनाए गए नियमों") शब्दों तथा कोष्ठक के पश्चात्, "जिसे उनके सदस्यों को फसल ऋण संवितरित किया जायेगा" शब्द निविष्ट किए जायेंगे।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा १५क में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १५क, की उप-धारा (१), के खण्ड (ख) में, "नियुक्त किये गये प्रशासकों का बोर्ड" शब्दों के स्थान में, "नियुक्त किये गये पाँच से अनधिक सदस्यों के प्रशासकों का बोर्ड" शब्द रखे जायेंगे ;

सन् १९६४ का महा. २० की धारा ३१ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ३१ की, उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :—

"(१क) बाजार समिति, अनुसूची में विनिर्दिष्ट न होनेवाले कृषक उपज या गैरकृषक उपज के विपणन के लिए बाजार क्षेत्र के भीतर बाजार समिति द्वारा उपबंधित किसी स्थान या सुविधा का उपयोग करने के लिए, किसी बाजार कृत्यकारी से जैसे कि व्यापारी, कमिशन अभिकर्ता, दलाल, संसाधक, गोदाम निरीक्षक, या कोई अन्य व्यक्ति से, निदेशक के पूर्वानुमोदन के साथ उसके द्वारा जैसा कि विनिश्चित किया जाए ऐसे दर पर, उपयोगिता प्रभार उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए सक्षम होगी।"।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा ३४क में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ३४क की,—

(एक) उप-धारा (१) में, "द्वारा नियुक्त किये गये ऐसे कर्मचारीवृंद" शब्द अपमार्जित किए जायेंगे ;

(दो) उप-धारा (२) में, "पाँच पैसे" शब्दों के स्थान में, "दस पैसे" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा ३५ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा ३५ की, उप-धारा (१) के द्वितीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु आगे यह कि, सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी जैसा कि विहित किया जाए ऐसे निबंधनों और शर्तों तथा रीति पर, निदेशक के पूर्वानुमोदन के साथ बाजार समिति द्वारा नियोजित होंगे।"।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा ३५क में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा ३५क में, "सहकारी संस्थाओं के सहायक रजिस्ट्रार" शब्दों के स्थान में, "सहकारी अधिकारी, श्रेणी-दो" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा ४५ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा ४५ की, उप-धारा (२) के खण्ड (ग) में, " का कार्यान्वयन करने के लिए प्रशासकों का बोर्ड" शब्दों के स्थान में, "का कार्यान्वयन करने के लिए पाँच से अनधिक सदस्यों के प्रशासकों का बोर्ड" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा ५७ में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा ५७ की,—

(एक) उप-धारा (३) में, "राशि देय है" शब्दों के पश्चात्, "राज्य विपणन बोर्ड या" शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(दो) पार्श्व टिप्पणी में, "सरकार को देय या" शब्दों के स्थान में, "सरकार या राज्य विपणन बोर्ड को देय" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९६४ का महा. २० की धारा ६० में संशोधन।

१०. मूल अधिनियम की धारा ६० की, उप-धारा (२) के खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्न खण्ड, निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-१) धारा ३५ की उप-धारा (१) के द्वितीय परंतुक के अधीन बाजार समिति के सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों तथा रीति विहित करने के लिए है ;"।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य

महाराष्ट्र कृषक उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९६३ (सन् १९६४ का महा. २०) बाजार क्षेत्रों में और राज्य में इसलिए स्थापित नीजि बाजारों और किसान उपभोक्ता बाजार समेत बाजारों में कृषिक और कतिपय अन्य उपज के विपणन का विकास और विनियमन करने तथा ऐसे बाजारों से संबंधित प्रयोजनों के संबंध में या कार्य करने के लिए गठित की जानेवाली बाजार समितियों को शक्तियाँ प्रदत्त करने और बाजार समिति के प्रयोजनों के लिए बाजार निधि स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

२. संशोधनों को किया जाना प्रस्तावित है जिसे मोटे तौर पर यथा निम्न स्पष्ट किया गया है :—

(क) उक्त अधिनियम की धारा १३ बाजार समितियों के गठन के लिए उपबंध करती है। धारा १३(१) (क) (एक) यह उपबंध करती है कि, ग्यारह सदस्य कृषक सारव संस्थाओं और बहुप्रयोजक सहकारी संस्थाओं की प्रबंधन समितियों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे। आजकल, राज्य में बहुप्रयोजक सहकारी संस्थाओं की संख्या में, वृद्धि हो गई है। चूँकि इसमें स्पष्टता नहीं है कि, कौन सी बहुप्रयोजक सहकारी संस्था ऐसे प्रतिनिधित्व करने के लिए पात्र हो जायेगी, इसलिए केवल वे बहुप्रयोजक सहकारी संस्थाओं को जो उनके सदस्यों को फसल ऋण का संवितरण करते है को पात्र करने की दृष्टि से, उक्त धारा १३(१) (क) (एक) में संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

(ख) उक्त अधिनियम की धारा १५क सदस्यों के साधारण या विस्तारित पदावधि अवसित होने के पश्चात्, प्रशासक की नियुक्ति के लिए उपबंध करती है। धारा १५क (१) (ख) यह उपबंध करती है कि, निदेशक या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी, समिति के कामकाज का प्रबंध करने के लिए प्रशासक या प्रशासकों के बोर्ड की नियुक्ति करेगा। चूँकि प्रशासकों के बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जानेवाले व्यक्तियों की संख्या पर कोई निर्बंधन नहीं है। प्रशासक बोर्ड के रूप में व्यक्तियों को बड़े पैमाने पर नियुक्त करना यह एक रिवाज बन गया है और इसके फलस्वरुप, समिति को ऐसे बड़े प्रशासकों के बोर्ड को बनाए रखने के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। इसलिए, उस उपबंध द्वारा ऐसे व्यय को कम करना इष्टकर समझा गया है कि, प्रशासक बोर्ड, पाँच से अनधिक सदस्यों की नियुक्ति करें।

धारा ४५ (२) (ग) में भी उसी प्रकार का उपबंध करना प्रस्तावित है, यह उपबंध करने की दृष्टि से कि, राज्य सरकार, आदेश द्वारा, या तो अध्याय **तीन** के उपबंधों के अनुसरण में, नई बाजार समिति का गठन कर सकेगा या प्रशासक या पाँच से अनधिक सदस्यों के प्रशासकों के बोर्ड नियुक्त कर सकेगा।

(ग) उक्त अधिनियम की धारा ३१, बाजार समिति को, उस बाजार क्षेत्र में, विपणन किए जानेवाले कृषि उपज के प्रत्येक खरीदार पर फीस और कमिशन **(अडत)** की दर उद्ग्रहण करने के लिए समर्थ बनाती है। तथापि, अनुसूची में विनिर्दिष्ट न होनेवाले कृषक उपज या गौरकृषक उपज के विपणन के लिए, बाजार क्षेत्र के भितर बाजार समितियों द्वारा उपबंधित कोई स्थान या सुविधा के उपयोग करने के लिए, किसी बाजार कृत्यकारी से, जैसे कि, व्यापारी, कमिशन अभिकर्ता, दलाल, संसाधक, गोदाम निरीक्षक, या कोई अन्य व्यक्ति से उपयोग प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने के लिए कोई उपबंध नहीं है। इसलिए, उक्त धारा ३१ में उप-धारा (१क) निविष्ट करना इष्टकर समझा गया है, जिससे बाजार समिति, निदेशक के पूर्वानुमोदन से, उसके द्वारा विनिश्चित किया जाए ऐसी दरों पर ऐसे बाजार कृत्यकारियों से उपयोग प्रभार का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करेगी।

(घ) उक्त अधिनियम की धारा ३४क यह उपबंध करती है कि, पाँच पैसे की लागत की, व्यक्ति द्वारा, जा बाजार क्षेत्र में कृषिउपज की खरीद करता है वह निरीक्षण लागत के रूप में से राज्य सरकार को अदा करेगा। अब लागत की ऐसी रकम पाँच पैसे से प्रति सौ रुपए के लिए दस पैसों की वृद्धि करना इष्टकर समझा गया है।

(शा.म.मु.) एचबी १७२३-२ (२५-१२-२०२१)

(ङ) उक्त अधिनियम की धारा ३५ यह उपबंध करती है कि, बाजार समिति, बाजार क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिए कर्मचारीवृंद नियोजित करने के लिए सशक्त करती है। तथापि, इसमें बाजार समिति द्वारा सचिव, अधिकारी और कर्मचारीयोंकी नियुक्ति करने के लिए एकसमान नियम नहीं है। इसलिए, बाजार समिति द्वारा नियोजित सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति करने के एकसमान निबंधनों ओर शर्तों तथा रीति विहित करना आवश्यक समझा गया है।

(च) बाजार समिति के सचिव के रूप में नियुक्ति करने के लिए अधिकारियों को अधिक विकल्प उपलब्ध करने के लिए, बाजार समिति के सचिव के रूप में, सहकार विभाग से सहकारी अधिकारी श्रेणी दो से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी की नियुक्ति करने के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसलिए, धारा ३५क में यथोचित संशोधन करने के लिए प्रस्तिवित किया गया है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित २१ दिसंबर, २०२१।

बाळासाहेब पाटील,
विपणन मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तुत विधेयक में, विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात् :–

खण्ड ६.—इस खण्ड के अधीन, राज्य सरकार को, बाजार समिति द्वारा नियोजित किए जानेवाले सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने के सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा रीति नियमों द्वारा विहित करने की शक्ति प्रदान की गई हैं।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरुप का है।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित २२ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई